

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सिरवी ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 64/2019

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार	जरिये	1.आशुराम पुत्र हेमाराम
तहसीलदार समदड़ी		2.बागाराम पुत्र हेमाराम
		3.भेराराम गोदपुत्र हुकमाराम
		4.अण्छीदेवी पत्नि हुकमाराम
		5.नरींगाराम पुत्र रामचन्द्र
		6.देवाराम पुत्र रामचन्द्र
		7.भागीरथ पुत्र सुरताराम
		8.चुनाराम पुत्र सुरताराम जाति विशनोई
		निवासी फुलण तहसील समदड़ी व जिला
		बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित-1. पैरोकार सरकार,नायब तहसीलदार समदड़ी प्रार्थी की ओर से।

2. एकतरफा-विप्रार्थीगण



आदेश

दिनांक- 16.8.19


उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं। कि प्रार्थी की ओर से डिजिटल नेशनल लैंड मोड्राईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत जमाबंदी एवं नक्शा लटका मौका स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुस्ती का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत तहसील समदड़ी के राजस्व ग्राम फूलण के खाता संख्या 11 खसरा संख्या 270/130 रकबा 9-12 बीघा राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। लेकिन राजस्व नक्शों लटका में खसरा संख्या 130/30 दर्ज होने के कारण राजस्व रिकार्ड एवं लटका नक्शों में एकरूपता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा लटका नक्शों में दर्ज खसरा संख्या 130/30 के स्थान पर जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 270/130 दुरुस्ती करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। और विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामीली श्रेणी में प्राप्त हुई। विप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।


3. प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की ओर से डिजिटल नेशनल लैंड मोड्राईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत जमाबंदी एवं नक्शा लटका मौका स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुस्ती का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत तहसील समदड़ी के राजस्व ग्राम फूलण के खाता संख्या 11 खसरा संख्या 270/130 रकबा 9-12 बीघा राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। लेकिन राजस्व नक्शा लटका में खसरा संख्या 130 दर्ज न होकर खसरा संख्या 130/30 दर्ज है। जो अशुद्ध दर्ज हो रखा है, जिसके राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा लटका में एकरूपता नहीं है। इस




उपस्थंड अधिकारी
सिवाकासी (कडमोर)

कारण नक्शा लटढा में दर्ज खसरा संख्या 130/30 विलोपित करते हुए उसके स्थान पर खसरा संख्या 270/130 दर्ज किया जावे। रिकार्ड दुरुस्ती करने से मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के नक्शा लटढा में दर्ज खसरा संख्या 130/30 विलोपित करते हुए उसके स्थान पर खसरा संख्या 270/130 दर्ज करने का आदेश फरमावे।

4. हमने प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलग्न राजस्व रिकार्ड एवं मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। तहसीलदार समदड़ी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम फूलण तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 270/130 रकबा 9-12 बीघा किस्म रेतली राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। जबकि उक्त भूमि के नक्शा लटढा में खसरा संख्या 270/130 दर्ज न होकर खसरा संख्या 130/30 अंकित है। इस प्रकार उक्त भूमि के जमाबंदी एवं लटढा नक्शा में एक समान खसरा संख्या दर्ज नहीं है। और राजस्व रिकार्ड में एकरूपता भी नहीं है। एवं हितबद्ध काश्तकार के राजस्व रिकार्ड में एकरूपता होना भी जरूरी है। ताकि राजस्व रिकार्ड में एकरूपता बनी रहे। इस कारण उक्त भूमि के नक्शा लटढा में अंकित खसरा संख्या 130/30 विलोपित करते हुए जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 270/130 नक्शा लटढा में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, एवं ऐसा किये जाने से मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एवं तहसीलदार समदड़ी में भी नक्शा लटढा में दुरुस्ती किये जाने की अभिशंका की गई है। विप्रार्थी संख्या 1 व 6 द्वारा भी प्रार्थी के आवेदन के संबध में सहमति पत्र पेश किया गया। जिसमें स्वीकार किया गया कि हमारे राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) के अनुसार नक्शा लटढा में खसरा नम्बर अंकित


उपखण्ड अधिकारी
सिवान (बिहार)

किये जाते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। शेष विप्रार्थी बावजूद सूचना के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है। कि उक्त विप्रार्थी को भी प्रार्थी के आवेदन स्वीकार किये जानें की मौन स्वीकृति है। क्योंकि यदि कोई आपत्ति होती, तो वे न्यायालय में उपस्थित होकर चाराजोही करते। लेकिन उन द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि आवेदित प्रकरण के नक्शा लटढा में खसरा संख्या 270/130 दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन राज्यहित की भावना को मददेनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम फूलण पटवार क्षेत्र सावंरड़ा तहसील समदड़ी के नक्शा लटढा में दर्ज खसरा संख्या 130/30 विलोपित करते हुए राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित खसरा संख्या 270/130 नक्शा लटढा में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार समदड़ी को आदेशित किया जाना है, कि तदनुसार राजस्व रिकार्ड (नक्शा लटढा) में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। तहसीलदार समदड़ी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।



उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 16.08.19 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवान (बिहार)

